न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 47/2016

–: अनवान :–

काशीराम पुत्र जमना बेवा मनीराम जाति ब्राहम्ण निवासी जैतपुर तहसील लूनकरणसर हाल निवासी सरकारी अस्पताल के पास पोस्ट ऑफिस के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

..... प्रार्थी

बनाम

1. चन्द्रकला पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी चक 2 के मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
3. उप–पंजीयक राजियासर।
4. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे(एडीबी)बैंक सूरतगढ़।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री सुभाषचन्द्र बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी 1
3. पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 26.11.2019

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि जैरप्रकरण भूमि चक 2 एल.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ खाता संख्या 103 नया 88 पुराना पत्थर नम्बर 218/40 मु.न. 79 किला नबर 11 ता 25 की कुल 3.670 हैक्टेयर कमाण्ड पुख्ता आवंटन भूमिहीन भूमि राजस्व रिकार्ड मे वादी/प्रार्थी की माता जमना बेवा मनीराम जाति ब्राहम्ण के नाम से दर्ज थी जो जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 2068 से साबित है। वर्तमान मे उक्त वर्णित जैरप्रकरण भूमि अप्रार्थीया न. 1 चन्द्रकला के नाम से खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थी की माता जमना देवी(मूल वाद मे प्रतिवादीया न. 1)को पूर्व मे आंवटित चक 2 एल.जी. एम. के मु.न. 199/45 मे प्रार्थी की माता को आवंटित 12.18 बीघा कमाण्ड को निरस्त

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

कर जरिये मिसल न0 7/78 अन्तोदय निर्णय द्वारा चक 2 एल.जी.एम. के पत्थर नम्बर 218/40 किला नम्बर 11 ता 22 मे 12.00 बीघा कमाण्ड भूमि प्रार्थी की माता को आवंटन हुई, उसके पश्चात् 3.00 बीघा भूमि स्मालपेच मे आवंटित हुई। इस प्रकार कुल 15.00 बीघा भूमि आवंटन है। जैरप्रकरण भूमि प्रार्थी की माता को परिवार का पालन पोषण करने हेतू आवंटन की गई थी क्योंकि आवंटन प्रार्थना पत्र के अन्दर परिवार के आश्रित सदस्यो के नाम दर्ज है क्योकि बड़ी पुत्री हरिया का विवाह हो जाने के कारण आवंटन प्रार्थना पत्र मे नाम दर्ज नही है शेष प्रार्थी व मूल वाद पत्र मे प्रतिवादी संख्या 2 का नाम प्रार्थना पत्र मे अंकित है। भूमि किसी एक व्यक्ति को जीवन निर्वाह हेतू आवंटित नही की जाती बल्कि पूरे परिवार के सदस्यो के लिए आवंटन की जाती है इसलिए उक्त जैरप्रकरण भूमि मे प्रार्थी 1/4 हिस्सा भूमि अपने नाम घोषित करवाने का पात्र है। प्रार्थी की माता 78 वर्षीय वृद्ध औरत है व दिमागी सन्तुलन सही नही है उक्त जैरप्रकरण भूमि को रिश्तेदारो के बहकावे मे आकर बेचान कर दी है। प्रार्थी ने उक्त जैरप्रकरण भूमि को कड़ी मेहनत कर काबिल काश्त योग्य बनाया है। प्रार्थी के परिवार के भरण पोषण का साधन बस यही जैरप्रकरण भूमि है उक्त भूमि संयुक्त परिवार की भूमि है जिसमे परिवार के सभी सदस्यो का हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थी ने जब मूल वाद पत्र मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 जमना देवी से उक्त जैरप्रकरण भूमि मे अपना हिस्सा जैतपुर मे दिनांक 01.02.2011 को मांगा तब मूल वाद पत्र मे दर्ज प्रतिवादी न. 1 साफ इन्कार हो गई और कहा कि मै उक्त भूमि का बेचान करूंगी तुम्हे जो करना है वो कर लो। प्रार्थी की माता जमनादेवी जो मूल वाद पत्र मे प्रतिवादीया न. 1 है, के द्वारा अप्रार्थीया न. 1 चन्द्रकला को दौराने वाद जैरप्रकरण भूमि का बैयनामा दिनांक 03.06.2011 को कर दिया है। जो प्रार्थी के 1/4 हिस्सा की भूमि तक निष्प्रभावी है। प्रार्थी के 1/4 हिस्सा की भूमि तक निष्प्रभावी है इस बैयनामा का प्रार्थी के हितो पर कोई असर नही है। अप्रार्थीया न. 1 बैयनामा दिनांक 03.06.2011 की आड़ मे प्रार्थी के 1/4 हिस्सा की भूमि मे दखलन्दाजी करने का प्रत्यन्न कर रही है इसलिए अप्रार्थीया न. 1 के विरूद्ध इस आशय की चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया है कि वह वादी/ प्रार्थी के 1/4 हिस्सा की भूमि मे किसी प्रकार से दखलन्दाजी न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करावे। वाद पत्र के निर्णय तक अप्रार्थीया न. 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे अन्यथा वाद पत्र के निर्णय से पूर्व ही वह जैरप्रकरण को और आगे खुर्द बुर्द कर सकती है जिसमे वाद पत्र मे और पेचिदीगीया पैदा हो जायेगी तथा प्रार्थी फिर न्याय से वंचित हो जायेगा। वर्तमान रिकार्ड अनुसार जैरप्रकरण समस्त रकबा अप्रार्थीया न. 1 के नाम से दर्ज है जिसका फायदा उठाकर वह रकबा बेचान करने पर उतारू है तथा प्रार्थी को उसके हिस्सा की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। इसलिए उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त वर्णित तथ्यो को

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

ध्यान मे रखते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि जैरप्रकरण भूमि वाके चक 2 एल.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 218/40 मु.न. 79 किला नम्बर 11 ता 25 की कुल 3.670 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि को रहन बेचान नही करे तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त मे दखलन्दाजी नही करे व मौके तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये वकील हाजिर आकर अपना जवाब प्रस्तुत किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैरप्रकरण रकबा प्रार्थी की माता के नाम से बतौर भूमिहीन काश्तकार आंवटन हैं जो परिवार का एक ईकाई मानकर मुखिया होने के नाते आवंटन किया गया था। भूमिहीन श्रेणी में इस आंवटित रकबा पैतृक सम्पति की परिभाषा में आता है। पैतृक सम्पति में प्रार्थी का भी 1/4 हिस्सा है जिसको को घोषित करवाने का वाद पत्र जैरकार है। प्रार्थी की माता ने जैरप्रकरण भूमि अप्रार्थीया न. 1 को बैचान कर दी है। प्रार्थी के हिस्सा की भूमि बेचान करने का अधिकार प्रार्थी की माता को नहीं था। अब अप्रार्थीया न. 1 आगे और बेचान करना चाहती है जिसको रोका जाना आवश्यक है, अन्यथा वाद पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जावे तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीया संख्या 1 ने अपनी बहस मे बताया कि जैरप्रकरण रकबा का बैयनामा अप्रार्थीया न. 1 के पक्ष में हो चुका है। कब्जा काश्त अप्रार्थीया के पास चला आ रहा है। इसी भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है। अब दुबारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी का खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। जमाबन्दी अनुसार जैरप्रकरण रकबा अप्रार्थीया न. 1 के नाम से दर्ज है जो प्रार्थी की माता जमना से जरिये बैयनामा के खरीद होने के कारण रिकार्ड में दर्ज हुई है। वाद पत्र के जैरकार रहने के दौरान ही यह बैयनामा हुआ। प्रार्थी ने जैरप्रकरण रकबा में 1/4 हिस्सा का दावा किया है तथा अपने नाम से 1/4 हिस्सा की घोषणा चाही है। चूंकि भूमि पूर्व में भी बिक चुकी है तथा आगे भी बेचान हो सकता है। प्रार्थी को कोई अनुतोष दावा से मिलेगा अथवा नही, यह सब तथ्य दावा मे ही तनकी कायम होने के बाद व साक्ष्य आने के बाद ही तय हो पायेगे। परन्तु वाद पत्र के निर्णय तक प्रार्थी के हिस्सा तक भूमि को सुरक्षित रखना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

प्र.सं – 47/2016 काशीराम बनाम चन्द्रकला आदि

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की ज़ाती है कि मूल वाद पत्र के निर्णय तक जैरप्रकरण भूमि चक 2 एल.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ खाता संख्या 103 नया 88 पुराना पत्थर नम्बर 218/40 मु.न. 79 किला नबर 11 ता 25 की कुल 3.670 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि में प्रार्थी के 1/4 हिस्सा तक की भूमि का बेचान नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.03 13:09:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: